

रज़िर्व बैंक ने 7 बैंकों पर लगाया जुर्माना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रज़िर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने सार्वजनिक तथा नज़ी क्षेत्र के कुल 7 बैंकों पर जुर्माना लगाया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- RBI द्वारा जनि बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, आंध्र बैंक, HDFC, IDBI और कोटक महदिरा बैंक शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज़ बैंक प्रत्येक पर 1.50 करोड़ रुपए जबकि आंध्र बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
- RBI ने धन के अंतिम उपयोग की नगिरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान, धोखाधड़ी की रिपोर्ट और वर्गीकरण और खातों के पुनर्गठन पर आर्दा वभिन्न दशा-नरिदेशों के अनुपालन नही करने के लयि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) पर जुर्माना लगाया गया है।
- केंद्रीय बैंक ने HDFC, IDBI और कोटक महदिरा बैंक पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, इन बैंकों पर जुर्माना लगाने का कारण रज़िर्व बैंक द्वारा जारी कयि गए **नो योर कस्टमर (Know Your Customer-KYC)** मानदंडों तथा एंटी मनी लॉन्डरगि (Anti-money laundering) मानकों के लयि जारी वभिन्न नरिदेशों का अनुपालन न करना है।
- RBI के के अनुसार, इन सात बैंकों के मामले में लयिा गया यह फैसला RBI के नयिमों के तहत नहिति शक्तयिों के अंतर्गत ही लयिा गया है। RBI द्वारा यह जुर्माना **बैंकगि वनियिमन अधनियिम, 1949** के तहत लगाया गया है।

भारतीय रज़िर्व बैंक

- भारतीय रज़िर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रज़िर्व बैंक अधनियिम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई।
- रज़िर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापति कयिा गया था जसि 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरति कयिा गया।
- यद्यपि प्रारंभ में यह नज़ी स्वामतिव वाला था, 1949 में राष्ट्रियकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामतिव है।
- वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तकिांत दास है जनिहोंने उर्जति पटेल का स्थान लयिा है।

कार्य

भारतीय रज़िर्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णति कयिे गए हैं:

- भारत में मौद्रकि स्थरिता की स्थति प्राप्ति करने की दृष्टि से बैंक-नोटों के नरिगम को वनियिमति करना तथा प्रारक्षति नधि (Reserves) को बनाए रखना।
- सामान्य रूप से देश के हति में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालति करना।
- अत्यधिक जटलि अर्थव्यवस्था की चुनौती से नपिटने के लयि आधुनकि मौद्रकि नीति फिरेमवर्क तैयार करना।
- वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थरिता बनाए रखना।